न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

मु.न. 1/17 निर्णय दिनांक 30.3.2017

निर्णय

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो. उदयपुरवाटी के पत्रांक राजस्व/17/702 दिनांक 8.2.17 को मु.न. 8/201 निर्णय दिनांक 31.1.17 से ग्राम बागलास की भूमि ख.न. 468, 769, 770, 1498/772 कुल किता-4 रकबा 3.17 हैक्टेयर मुकदमा पुत्र गुरमा उर्फ गुल्ला के वारिसों की जांच का विवरण मा० को कार्यवाही हेतु प्राप्त हुए जिसे उर्जा राजेश्वर पुत्र काशी को जरिये नोटिस तलब किया गया। मुकदमा के वारिसों की ओर से रामकन्हैया व जुगल किशोर ने एडवोकेट को वकालत नामा पेश किया तथा रामकिशन पुत्र मुकदमा मीना ने उपस्थित होकर वारिसों का शपथ-पत्र दिया। तथा जुगल किशोर ने वकीलों को memo पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुकदमा मीना के वारिसों के सम्बन्ध में विजयसिंह पुत्र रतिसिंह राजपूत, जगदीश प्रसाद पुत्र मालाराम मीना, कृष्ण पुत्र मोहनलाल मीना, रामचन्द्र पुत्र रामेश्वर मीना, गजानन्द पुत्र सुखदेव प्रसाद, रामनिवास पुत्र सुरेशकुमार मीना, रामकरण पुत्र चन्द्रराज जाट, छोटेलाल पुत्र उपेन्द्र प्रसाद मीना ने स्व. मुकदमा के वारिस पत्नी केशरदेवी फौत हेराज, रामकिशन, रामसिंह पुत्र व पुत्रियां नहीं है जिसमें रामसिंह फौत होने पर विधवा पत्नी, सोनू, मनोज पुत्र मंजू, रेखा पुत्री है जिसका रिकार्ड रामा रिकार्ड हुए शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त वारिसों के आधार पर मुकदमा रामपुत्र गुरमा उर्फ गुल्ला मीना के वारिस हेराज, रामकिशन पि० मुकदमा विधवा पत्नी रामसिंह सोनू, मनोज पि० रामसिंह मंजू, रेखा, पुत्रियां रामसिंह फौत मीना उचित प्रतीत होता है।

P.T.O.

तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner

अतः स्व. मुरकाराम ~~अलीपुत्र~~ सुरमा उर्फ गुड्डका नाम भीमा ने बामकाश
के ख.न 468, 769, 770, 1498/773 कुल किता 4 रकबा 3.17 हे.मे.
मुरकाराम पुत्र गुलाबी/पुत्र हि 151/451 के बजाय श्री राम, रामकिशन पि०
मुरकाराम हि 43 बिसवाने की परिस्व. रामसिंह सोनू, मनोज पि० रामसिंह
मंजू, रेखा, पूनम पुत्रियां रामसिंह हि 48 कटि 151/451 नाम भीमा के नाम
नामान्तरण खोलने का आदेश पटवारी हल्का बामकास को
दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30-3-2017 को खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

तहसीलदार (भू.अ.)
उदयपुरवाटी

तहसीलदार (भू.अ.)
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner